राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –138/2023
अन्तर्गत
अपील संख्या–1088/2019

राम कुमार

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.10.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगदीश (कांस्टेबल), उप पुलिस अधीक्षक, एस.सी–एस.टी. प्रकोष्ठ, नागौर, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अधिकरण के आदेशों की पालना में अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में अधिकरण के आदेशों की पालना की जा चुकी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अधिकरण के आदेशों की पालना की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस अवमानना याचिका में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)